UPSD010012372024

<u>न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–1 सिद्धार्थनगर।</u>

Final Report-4332024

बृजकिशोर —————बनाम—————मकसूद अहमद

मु०अ०सं० 210/2024
धारा–135 भारतीय विद्युत अधिनियम,
थाना–ए.पी.टी.
जनपद–सिद्धार्थनगर।

<u>दिनांक–14–12–2024</u>

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। पुकार करायी गयी। विद्युत विभाग के विशेष अधिवक्ता श्री विनोद कुमार चौधरी उपस्थित आये।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मु०अ०सं०–उपरोक्त, अन्तर्गत धारा–उपरोक्त, थाना–उपरोक्त, जिला– सिद्धार्थनगर में अभियोग पंजीकृत हुआ। विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त अभियुक्त उपरोक्त के संबंध में अंतिम आख्या दिनांकित–18–11–2024 न्यायालय में प्रेषित किया गया। प्रस्तुत अन्तिम आख्या के संदर्भ में वादी मुकदमा को नोटिस जारी किया गया, जिस पर वादी मुकदमा जे.ई. बृजकिशोर राम दिनांक न्यायालय में उपस्थित आये तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए उक्त प्रकरण में प्रेषित अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने में वादी मुकदमा द्वारा कोई आपत्ति न होने का कथन किया गया है तथा इसी आशय का पृष्ठाकंन वादी मुकदमा द्वारा फाइनल रिपोर्ट के पुश्त पृष्ठ पर भी किया गया है।

ऐसी दशा में मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित प्रकरण में विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

सम्बन्धित प्रकरण में विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार की जाती है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(मोहम्मद रफी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–1 सिद्धार्थनगर।